जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 28.03.2023**

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा पशु ओं को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाते 04 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 17 ग्राम अवैध स्मैक, पशु (06 कटडे) एवं परिवहन में प्रयुक्त छोटा हाथी बरामदः-

आज दिनांक 29.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते 04 अभियुक्तों को परिवहन में प्रयुक्त छोटा हाथी एवं अभियुक्त शाहरूख के कब्जे से 17 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. कल्लू पुत्र वसीर निवासी ग्राम सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. राशिद पुत्र मकसूद निवासी मौहल्ला प्रतापनगर थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. शहनवाज पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला कोटला खैरादियान थाना थानाभवन जनपद शामली।
4. शाहरूख पुत्र भूरा निवासी मौ0 कोटला खैरादियान थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- पशु (06 कटडे)।
2. अवैध स्मैक 17 ग्राम।
3. परिवहन में प्रयुक्त छोटा हाथी नम्बर UP 20T 7162

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कल्लू, राशिद, शहनवाज उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 107/23 धारा 11(1)घ पशु क्रूरता अधिनियम थाना थानाभवन शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहरूख उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 158/20 धारा 3/11(2)घ पशु क्रूरता अधिनियम थाना थानाभवन शामली।
2. मु0अ0सं0 107/23 धारा 11(1)घ पशु क्रूरता अधिनियम व 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना थानाभवन शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री रामरतन सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.हे0का0 सोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
5. हे0का0 आशीष कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
6. का0 अनुज कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
7. का0 पंकज थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना

जनपद में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तारः-

आज दिनांक 29.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना कांधला के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित गैंगस्टर दुष्यन्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. दुष्यन्त पुत्र सन्दीप निवासी मुंडेट कला थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दुष्यन्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 160/22 धारा 379 भादवि थाना ककरौली जनपद मु0नगर।
2.मु0अ0सं0 369/22 धारा 392 भादवि थाना बुढाना जनपद मु0नगर।
3.मु0अ0सं0 378/22 धारा 394/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 385/22 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 86/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कपरवान थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 अम्बरीश देशवाल थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. का0 देवेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते चोरी के 02 मामलों में अभियुक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा सुनाई कारावास की सजा।

वर्ष 2022 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सचिन पुत्र राकेश निवासी मौहल्ला नौ कुआ थाना कोतवाली शामली द्वारा 02 चोरी की घटनाऐं कारित की थी। घटनाओं के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 229/22 धारा 379,411 भादवि तथा मु0अ0सं0 231/22 धारा 380,411 पंजीकृत किये गये थे। इस मामलों में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय कैराना में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 29.03.2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त सचिन उपरोक्त को दोषी पाते हुए मु0अ0सं0 229/22 धारा 379,411 भादवि (चोरी करना) में 10-10 माह के कारावास तथा कुल 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित एवं मु0अ0सं0 231/22 धारा 380,411 भादवि (चोरी करना) में 01-01 वर्ष के कारावास तथा कुल 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1. सचिन पुत्र राकेश निवासी मौहल्ला नौ कुआ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।